न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कठूमर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/66/2016

वउनवान

1. कविता पुत्री बाबूलाल जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठूमर

------ सायला

बनाम

1. अनोखा उर्फ अनूपसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठूमर
2. किस्तूरी बेवा बाबूलाल जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठूमर
3. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर

----- गैरसायल

दर0 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट : वकील सायल

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट : वकील गैरसायलान

आदेश दिनांक 01.05.2018

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे., 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे.,1437 रकवा 1.33 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 में सायला का 1/16 हिस्सा , 1061 में सायला का 1/12 हिस्सा , 1408,1436,1437 में सायला का 1/48 हिस्सा व शेष हिस्सा गैरसायल संख्या 1-2 व तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादीत आराजी पर सायला काविज रहकर काश्त करती है। उपरोक्त विवादित आराजी सायला एवं गैरसायलान संख्या 1-2 व तरतीवी प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है। गैरसायलान जबर्दस्त व ताकतवर व्यक्ति है दिनांक 02.06.2016 को गैरसायलान ने सायला को खुलेआम धमकी दी है कि हम

विवादित आराजी पर तुझे तेरे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें, जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करेगें, तथा तुझे उक्त खेत पर फसल काटने समेटने नहीं देगें, खेत बोने जोतने नहीं देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये बिना तथा बिना कन्वर्ट कराये कीमती व सुविधायुक्त भूमि पर एकनिश्चित भू–भाग पर कब्जा कर इस पर कच्चा–पक्का निर्माण करेगें, जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का काई हक वो अधिकार नहीं हैं यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो सायला तवाह एवं बर्बाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाजी बढ़ेगी जिससे सायला को अपार हानि व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं हैं। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 में सायला का 1/16 हिस्सा , 1061 में सायला का 1/12 हिस्सा , 1408,1436,1437 में सायला का 1/48 हिस्सा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के संयुक्त कब्जे काश्त में सायला के काश्तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। सायला को खेत जोतने फसल काटने से ना राकने तथा उक्त आराजी का कानूनी तकासमा कराये बिना किसी भी हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण ना करने बाबत गैरसायलान को पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। गैरसायलान संख्या 3 उपस्थित हुये। वकील गैरसायलान द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र , कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गय एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सीधे ही बहस अंतिम की गई।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे.

, 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे.,1437 रकवा 1.33 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायला के तथ्यों का विरोध करते हुये अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव केवियट प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीनी ने गलत एवं झूठे तथ्य पेश किय है।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे., 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे.,1437 रकवा 1.33 हे. वाके ग्राम कठूमर सायला की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको गैरसायलान ने स्वीकार किया है। खसरा नम्बर 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे., 1408 रकवा 0. 94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे.,1437 रकवा 1.33 हे. वाके ग्राम कठूमर के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया सायला के पक्ष में बनता है। सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक सायला की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे., 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे.,1437 रकवा 1.33 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर पर सायला के दर्ज हिस्से , कब्जे काश्त में दखलनदाजी, खेत बोने जोतने फसल काटने समेटने से ना रोके ,कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर